पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ।

आपराधिक विविध मामला संख्या : 5086/2023

जिला- पूर्वी चम्पारण, पुलिस थाना- तुरकौलिया काण्ड संख्या -193/2021 से उत्पन्न मामला।

==========

मासूम खान उर्फ़ मासूम खान उर्फ़ सबीह अहमद,पुत्र स्वर्गीय वजीर अहमद खान , निवासी -बेला, थाना-नगर, पूर्वी चंपारण।

..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. बिहार राज्य
2. डॉ. कुमकुम सिन्हाउर्फ़ कुमकुम कुमारी, पत्नी डॉ. श्याम बाबू , निवासी, मोहल्ला- बधाई तोला चटौनी, पुलिस थाना -चटौनी, जिला-पूर्वी चंपारण।

..... विपरीत पक्ष

==========

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री अमित श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री अली एम. अहमद, अधिवक्ता
		श्री ए. अख्तर, अधिवक्ता
		श्री शहबाज आलम, अधिवक्ता
		श्री शैलेश कुमार,
राज्य के अधिवक्ता	:	श्री जैनुल आबेदीन, सहायक लोक अभियोजक
सूचना देने वाले के लिए	:	श्री अंसुल, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री करण दीप , अधिवक्ता

==========

दंड प्रक्रिया संहिता --- धारा 207, 239 --- भारतीय दंड संहिता --- धारा 341, 354 बी, 386, 387, 504, 506, 34 --- "गंभीर संदेह" की अवधारणा --- आरोपित आदेश को रद्द करने/अलग रखने के लिए याचिका जिसके द्वारा और जिसके तहत याचिकाकर्ता द्वारा दायर निर्वहन आवेदन को खारिज कर दिया गया था --- याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप है कि उसने जबरन वसूली मांगने और सूचक के खिलाफ आपराधिक कृत्य करने के लिए 4 अज्ञात व्यक्तियों को लगाया/भेजा।

निष्कर्ष: - अज्ञात व्यक्ति, जिन्होंने सूचक/ओपी नंबर 2 को धमकी दी और फिरौती मांगी, को गिरफ्तार नहीं किया गया और किसी भी पकड़े गए व्यक्ति का कोई बयान नहीं है --- बेशक, याचिकाकर्ता मौके पर मौजूद नहीं था और उसने सूचक को निर्वस्त्र करने या उसे रोकने के लिए किसी भी आपराधिक बल का उपयोग नहीं किया केवल और केवल राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से

उत्पन्न संदेह का सुझाव देते हैं---आक्षेपित आदेश के अवलोकन से यह पता चलता है कि आदेश बहुत ही यांत्रिक तरीके से केवल इस कारण से पारित किया गया था कि विद्वान क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रथम दृष्टया सामग्री को देखते हुए संज्ञान लिया था---आदेश इस बारे में चुप है कि इस याचिकाकर्ता के खिलाफ क्या सामग्री उपलब्ध है, जिसे यदि खंडन नहीं किया जा सकता है, तो दोषसिद्धि हो सकती है और, इसलिए, "गंभीर संदेह" की अवधारणा को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है---आक्षेपित आदेश को खारिज कर दिया गया---याचिका को अनुमति दी गई। ***(पैरा 30-32, 37)***

*2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 1582, 1994 सप्ल.(2) एससीसी 707, (2022) 9 एससीसी 577, एआईआर 2005 एससी 359, 1992 सप्ल (1) एससीसी 335 ..... **संदर्भित।***

डिस्चार्ज याचिका --- सिद्धांत --- मजिस्ट्रेट को इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले कि आरोपी के खिलाफ आरोप "निराधार" है या नहीं, निम्नलिखित कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करना होगा: (i) सीआरपीसी की धारा 173 के तहत पुलिस रिपोर्ट और उसके साथ भेजे गए दस्तावेज; (ii) मजिस्ट्रेट द्वारा आवश्यक समझे जाने पर आरोपी की कुछ जांच करना, यदि कोई हो; (iii) आरोपी को सुनवाई का अवसर देना; और (iv) कारणों की रिकॉर्डिंग --- सीआरपीसी की धारा 239 के सभी उपरोक्त चार भागों को कठोर जांच और अत्यंत सावधानी से निपटाया जाना चाहिए क्योंकि इस प्रावधान के तहत पारित कोई भी आदेश आपराधिक मुकदमे का द्वार खोलता है। (पैरा 36)

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

==========

न्यायालयः माननीय न्यायाधीश श्री चंद्र शेखर झा ।

विचारणीय निर्णय।

तारीखः 07-04-2025

याचिकाकर्ता श्री अंसुल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अमित श्रीवास्तव , सूचना देने वाले/विरोधी पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता संख्या - 2 और राज्य की ओर से श्री जैनुल आबेदीन सहायक लोक अभियोजक को सुना गया ।

2. वर्तमान याचिका सुश्री पूजा कुमारी, विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट - प्रथम श्रेणी, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण द्वारा तुरकौलिया बंजरिया पी.एस. केस संख्या 193/2021 से उत्पन्न परीक्षण संख्या 1031/2022 में पारित दिनांक 16.12.2022 को पारित किए गए आक्षेपित आदेश को रद्द करने/रद्द करने के लिए पेश की जा रही है, जिसके तहत याचिकाकर्ता/अभियुक्त द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में 'सीआरपीसी') की धारा 239 के तहत याचिकाकर्ता को मुक्त करने के लिए आवेदन खारिज कर दिया गया है।

3. अभियोजन पक्ष की कहानी संक्षेप में यह है कि डॉ. कुमकुम सिन्हा (सूचक-विपक्षी संख्या 2) पूर्व नगर पार्षद वार्ड संख्या 18 मोतिहारी सह जिला अध्यक्ष (महिला) जेडीयू, पूर्वी चंपारण ने 06.03.2021 को बंजरिया पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के समक्ष लिखित सूचना दी थी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी बताया गया था कि वह एक प्रैक्टिसिंग महिला डॉक्टर हैं, जिनका एनएच-28 सिंघिया सागर मोड़, पीएस बंजरिया के पास अपना क्लिनिक है। दिनांक 05.03.2021 को शाम 7:45 बजे जब वह अपने नर्सिंग होम शिवम सेवा सदन, सिंघिया सागर मोड़ से बधाई टोला स्थित अपने आवास पर लौट रही थी, तभी रास्ते में बिना नंबर की दो मोटरसाइकिलों पर सवार चार अज्ञात व्यक्तियों ने उसकी कार को घेर लिया, जिसमें से एक सफेद रंग की अप्पाचे मोटरसाइकिल और दूसरी काले रंग की लाल रंग की पल्सर मोटरसाइकिल थी और रास्ते में उसकी कार रोककर 50,00,000/- रुपये की रंगदारी की मांग की और कहा कि यह किसी मासूम भाई (याचिकाकर्ता) का फरमान है और अगर पांच दिनों के अंदर मांग पूरी नहीं की गई तो उसके क्लिनिक को उड़ा दिया जाएगा और उसके बच्चों को स्कूल जाते समय रास्ते से अगवा कर

लिया जाएगा। सूचक ने आरोप लगाया कि उसे यह भी धमकी दी गई कि अगर उसने पुलिस को सूचना दी तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। सूचक/ओ.पी. क्रमांक 2 ने बताया कि इस घटना के बाद उसे पूरा यकीन हो गया कि यह मासूम खान वही व्यक्ति है जिसने पहले भी उस पर हमला किया था और पीडब्ल्यूडी विभाग के जूनियर इंजीनियर से मारपीट और रंगदारी मांगने के एक अन्य मामले में भी आरोपी है और उक्त घटना के लिए उसे जेल भी भेजा गया था। आगे आरोप है कि इतना ही नहीं सदर थाने में दर्ज कांड संख्या 1/2018 में भी गिरफ्तार आरोपी लाल साहब ने कबूल किया है कि मासूम खान अन्य अपराधियों की मदद से आपराधिक साजिश रच रहा है और वे परिवादी, उसके पति और बच्चों की हत्या कर सकते थे और उसके क्लीनिक को बम से उड़ाने की भी योजना बना रहे थे, लेकिन इसी बीच वे सभी हथियार सहित गिरफ्तार हो गए। आगे आरोप है कि परिवादी/सूचक ने इस संबंध में शिकायत भी दर्ज कराई थी। उक्त घटना समाचार पत्र में भी प्रकाशित हुई थी। सूचक/ओपी. क्रमांक 2 ने यह भी आरोप लगाया है कि अक्टूबर 2017 में आरोपी ने जेल से फोन पर उसके स्टाफ से फिरौती भी मांगी है और उसके क्लीनिक स्टाफ को व्हाट्सएप के जरिए धमकी भी दी गई है। आरोप है कि मासूम खान गाली-गलौज, मोबाइल से कॉल और इंटरनेट कॉल के जरिए मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। यह भी आरोप है कि सोशल नेटवर्किंग साइट से उसकी फोटो निकालकर छेड़छाड़ कर वायरल करने की धमकी भी दी गई है। यह भी आरोप है कि आरोपी हमेशा उसकी गाड़ी का पीछा करता था। सूचक/ओपी क्रमांक 2 ने बताया कि याचिकाकर्ता हमेशा कहती थी कि उसका भाई जज के यहां पेशकार/क्लर्क के पद पर काम कर रहा है, इसलिए वह किसी भी हालत में जेल से आसानी से बाहर आ जाएगा। यह भी आरोप है कि याचिकाकर्ता को लाल साहब के साथ अपराध करने के बाद विदेश भागने की आदत है।

4. बंजरिया थाना प्रभारी के समक्ष दी गई उपरोक्त लिखित सूचना के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 341/354बी/386/387/34 के अंतर्गत कथित अपराध के लिए बंजरिया थाना कांड संख्या 193/2021 के तहत औपचारिक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज की गई। उक्त मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोप पत्र समर्पित किया, जहां उपलब्ध

सामग्री के आधार पर विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, मोतिहारी ने मामले के अभिलेख को आगे की कार्यवाही के लिए श्री भोला सिंह, विद्वान जे.एम. प्रथम श्रेणी, सदर, मोतिहारी की अदालत में स्थानांतरित कर दिया, तदनुसार, मुकदमे की सुनवाई 1031/2022 के रूप में की गई। सीआरपीसी की धारा 207 के तहत पुलिस कागजात प्राप्त होने पर, याचिकाकर्ता द्वारा सीआरपीसी की धारा 239 के तहत आरोप मुक्त करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसे रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्रियों पर विचार करने के बाद, सुश्री पूजा कुमारी, विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट - प्रथम श्रेणी, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण द्वारा खारिज कर दिया गया।

5. याचिकाकर्ता ने विद्वान सी.जे.एम. मोतिहारी द्वारा पारित संज्ञान आदेश के विरुद्ध भी आपराधिक पुनरीक्षण प्रस्तुत किया, जिस पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश- XIVth, मोतिहारी द्वारा दिनांक 27.07.2022 को सुनवाई की गई, जहां याचिकाकर्ता के पुनरीक्षण को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया तथा भारतीय दंड संहिता की धारा **386** के तहत अपराधों के लिए संज्ञान को खारिज कर दिया गया।

6. याचिकाकर्ता की ओर से बहस करते हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अमित श्रीवास्तव ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप तय करने के लिए कोई "मजबूत संदेह" नहीं है। यह बताया गया कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री यह सुझाव देने के लिए पर्याप्त है कि ओ.पी. संख्या 2 द्वारा उठाए गए आरोप याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप तय करने के लिए "निराधार" थे, जिसे विद्वान मजिस्ट्रेट ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। यह प्रस्तुत किया गया कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस स्तर पर साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच नहीं की जा सकती है कि क्या मामला बरी या सजा के साथ समाप्त होगा, लेकिन सामग्री का मूल्यांकन तुलनात्मक रूप से अधिक सख्त तरीके से संज्ञान लेने के तरीके से किया जाना चाहिए, ताकि इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके कि आरोपी याचिकाकर्ता के खिलाफ मामला "निराधार" नहीं पाया गया है और उक्त उद्देश्य के लिए उपलब्ध सामग्रियों से "मजबूत संदेह" की आवश्यकता है, जो वर्तमान मामले में अनुपस्थित है।

7. यह भी कहा गया है कि इस स्तर पर याचिकाकर्ता के बचाव पर विचार नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो दस्तावेज स्टर्लिंग प्रकृति के हैं, उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा

सकता है। अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान वरिष्ठ वकील ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी रिपोर्ट पर भरोसा किया, जो **उड़ीसा राज्य बनाम देबेंद्र नाथ पाधी** के माध्यम से उपलब्ध है, जिसे **एआईआर 2005 एससी 359** में रिपोर्ट किया गया है।

8. श्री श्रीवास्तव ने आगे तर्क देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का शिकार बनाया गया है, जो एक सिविल इंजीनियर और जेडीयू के जिला उपाध्यक्ष हैं, जबकि सूचक/विपरीत पक्ष संख्या 2 जेडीयू (महिला प्रकोष्ठ), पूर्वी चंपारण की पूर्व उपाध्यक्ष थीं। यह बताया गया है कि चूंकि सूचक कुछ कारणों से विधायक का टिकट पाने में विफल रही, इसलिए उसे संदेह था कि यह याचिकाकर्ता ही थी जिसने उसे पार्टी का टिकट आवंटित नहीं करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इसलिए उसने बिना किसी सामग्री के वर्तमान झूठा मामला दर्ज कराया।

9. श्रीवास्तव ने आगे तर्क देते हुए कहा कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन के अवलोकन से भी ऐसा प्रतीत होता है कि इस याचिकाकर्ता का निहितार्थ केवल संदेह के आधार पर है क्योंकि यह सूचना देने वाले के लिखित बयान से ही स्पष्ट है, जहां उसने प्राथमिकी के माध्यम से कहा था कि "मुझे पूरा यकीन हो गया है कि यह वही मासुम ख़ान है" ।

10. इस संदर्भ में, यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि पूरक केस डायरी के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि कोई भी सूचना देने वाले के क्लिनिक के पास नहीं आया, कोई जबरन वसूली के पैसे की मांग नहीं की और न ही उसके खिलाफ कोई अपराध करने की धमकी दी, जिससे पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने किसी भी अज्ञात व्यक्ति को जबरन वसूली की मांग करने या याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्य को करने के लिए नहीं भेजा था।

11. यह प्रस्तुत किया जाता है कि पूरक केस डायरी के अनुसार, अज्ञात सह-अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ कोई सुराग नहीं मिला, न ही भविष्य में उनके बारे में कोई सुराग मिलने की कोई संभावना है, क्योंकि घटना का स्थान एक आबादी वाला क्षेत्र है।

12. एफआईआर का संदर्भ लेते हुए, श्री श्रीवास्तव ने प्रस्तुत किया कि अप्रत्यक्ष उद्देश्य को आसानी से समझा जा सकता है क्योंकि सूचक ने एक मामला संख्या 01/2018 का उल्लेख किया है,

जिसमें एक सह-आरोपी लाल साहब ने कबूल किया है कि याचिकाकर्ता अपने पति और बच्चों को मारने और बम फेंककर अपने क्लिनिक को नष्ट करने की साजिश रच रही है, लेकिन याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप सही नहीं पाया गया। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि टाउन पी.एस. केस संख्या 95/2017 में, जिसे ट्रायल संख्या 3815/2019 के रूप में क्रमांकित किया गया था, याचिकाकर्ता को उन्मोचित कर दिया गया था और इस तरह, वर्तमान में याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई मामला लंबित नहीं है।

13. यह प्रस्तुत किया गया है कि अप्रत्यक्ष उद्देश्य से झूठा आरोप लगाना इस तथ्य से स्पष्ट है कि सूचक के पति डॉ. श्याम बाबू ने जांच के दौरान खुद को घटना का प्रत्यक्षदर्शी बताया, लेकिन एफ.आई.आर. से यह प्रतीत होता है कि सूचक अपने नर्सिंग होम से बरहाई टोला तक अकेले ही गई थी।

14. श्री श्रीवास्तव ने आगे कहा कि एफआईआर 05.03.2021 को हुई घटना से संबंधित है, जिसमें विशेष रूप से यह उठाया गया है कि इस याचिकाकर्ता ने डिजिटल/नेट कॉल के माध्यम से सूचनाकर्ता को परेशान करना शुरू कर दिया। संलग्न दस्तावेज क्रमशः 15.12.2017 और 03.01.2020 दिनांकित हैं, जो झूठे आरोप लगाते हैं। इन दस्तावेजों के स्टर्लिंग मूल्य को सूचनाकर्ता/ओपी नंबर 2 द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, और इसके अलावा, उक्त दस्तावेज भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी के तहत आवश्यक प्रमाणीकरण द्वारा समर्थित नहीं है।

15. श्री श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि पुनरीक्षण पर, भारतीय दंड संहिता की धारा 386 के तहत लगाए गए आरोप को पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा 27.07.2022 के अपने आदेश के माध्यम से अपास्त कर दिया गया था, जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता संख्या 1000/2021 में पारित किया गया था, लेकिन उक्त पुनरीक्षण न्यायालय यह समझने में विफल रहा कि इस याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप भी भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 354 बी, 120 बी, 387, 504 और 506 के तहत अपराध के लिए निराधार है, जैसा कि माना जाता है, याचिकाकर्ता मौके पर मौजूद नहीं था और वह वर्तमान मामले में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं पाया गया।

16. यह प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि याचिकाकर्ता मौके पर मौजूद नहीं था, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता ने मुखबिर को निर्वस्त्र करने के लिए कोई आपराधिक बल का प्रयोग किया है और इसलिए, आईपीसी की धारा 354 बी के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप निराधार प्रतीत होते हैं। आईपीसी की धारा 341 के तहत गलत तरीके से रोकने के आरोप के बारे में भी यही बात लागू होती है। यह प्रस्तुत किया गया है कि घटना को अंजाम देने वाले अज्ञात व्यक्तियों को कभी गिरफ्तार नहीं किया गया और इसलिए, आईपीसी की धारा 120 बी, 387 और 504 के तहत जबरन वसूली और शांति भंग करने के लिए साजिश या धमकी देने का आरोप निराधार प्रतीत होता है।

17. आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में विस्तार से बताते हुए श्री श्रीवास्तव ने कहा कि जब याचिकाकर्ता को मोतिहारी टाउन थाना केस संख्या 95/2017 में दिनांक 13.01.2021 के फैसले के माध्यम से बरी कर दिया गया था, तो सूचक ने अपनी नौकरानी को याचिकाकर्ता के खिलाफ शिकायत मामला संख्या 63/2022 दर्ज करने में सहायक बनाया था, जिसे तुरकौलिया थाना केस संख्या 1060/2022 के रूप में आईपीसी की धाराओं 341, 323, 427, 354 बी, 504, 354 डी, 506 और 34 के तहत अपराधों के लिए स्थापित किया गया था, जिसकी जांच चल रही है। श्री श्रीवास्तव ने बताया कि वर्तमान निरस्तीकरण याचिका के लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ता का आपराधिक पृष्ठभूमि एसडीपीओ द्वारा इस न्यायालय को उपलब्ध कराया गया था। सदर ने अपने पत्र संख्या 3430 दिनांक 30.07.2024 के माध्यम से सूचित किया है कि तुरकौलिया थाने में याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है।

18. प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता को तुरकौलिया पी.एस. केस संख्या 1060/2022 में जांच के बाद दोषमुक्त कर दिया गया था, क्योंकि पुलिस को याचिकाकर्ता को फंसाने के लिए कोई भी ठोस सामग्री नहीं मिली थी, जहां यह भी पता चला कि उक्त मामले के सूचक ने वर्तमान मामले की सूचक डॉ. कुमकुम सिन्हा के कहने पर याचिकाकर्ता का नाम लिया था। इसी तरह, याचिकाकर्ता को मोतिहारी पी.एस. केस संख्या 01/2018 में भी परीक्षण के लिए नहीं भेजा गया था और जांच अधिकारी द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया था, जो कि केवल

एफ.आई.आर. में उल्लिखित संदेह का आधार है, लेकिन सूचक ने उपरोक्त मामले में विरोध के रूप में दिनांक 02.07.2021, 29.07.2021 और 27.08.2021 को एक याचिका दायर की ताकि जांच एजेंसी को याचिकाकर्ता के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का निर्देश दिया जा सके। हालांकि, अंत में मोतिहारी पी.एस. केस संख्या 01/2018 में जांच अधिकारी ने दिनांक 19.01.2019 को अपनी पर्यवेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया कि पुलिस को वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता की संलिप्तता नहीं मिली है क्योंकि याचिकाकर्ता अपने काम के उद्देश्य से भारत से बाहर पाया गया था और साथ ही याचिकाकर्ता और विपक्षी संख्या 2 के बीच चल रही राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता भी स्पष्ट रूप से पाई गई। याचिकाकर्ता के पासपोर्ट की फोटोकॉपी से जांच के दौरान यह स्पष्ट रूप से पता चला कि याचिकाकर्ता 15.09.2017 को भारत से चला गया था और 13.06.2018 को आया था और घटना की प्रासंगिक तिथि पर देश में मौजूद नहीं था।

19. विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया कि छतौनी पी.एस. कांड संख्या 42/2023 में, जो 22.01.2023 को आईटी अधिनियम की धारा 67 और 37ए के तहत अपराधों के लिए संस्थित किया गया था, जहां वर्तमान मामले के सूचक ने एफ.आई.आर. दिनांक 31.07.2023 के छह महीने बाद एस.एच.ओ. के समक्ष याचिकाकर्ता को छतौनी पी.एस. कांड संख्या 42/2023 में जोड़ने के लिए आवेदन दिया था। हालांकि, जांच प्राधिकरण ने पी.एस. कांड संख्या 42/2023 में अपनी पर्यवेक्षण रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से पक्षों के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की ओर इशारा किया है।

20. याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए सभी झूठे आरोपों को सारांशित करते हुए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्रीवास्तव ने प्रस्तुत किया है कि वर्तमान मामला झूठे आरोपों की श्रृंखला का अगला मामला है, जहां याचिकाकर्ता को मुखबिर/ओ.पी. संख्या 2 द्वारा अपने राजनीतिक प्रतिशोध के लिए फंसाया गया था।

21. श्री श्रीवास्तव ने आगे कहा कि विपक्षी पक्षकार संख्या 2 स्वयं आपराधिक पृष्ठभूमि वाली महिला है और उस पर हत्या और हत्या के प्रयास के दो जघन्य अपराधों का मुकदमा चल रहा है, अर्थात छौतानी थाना कांड संख्या 53/2015 और 64/2023। यह कहा गया

है कि एफआईआर से ही राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता स्पष्ट है क्योंकि सूचना जिला अध्यक्ष, महिला प्रकोष्ठ, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी की हैसियत से दर्ज की गई थी।

22. श्री श्रीवास्तव ने दलीलें समाप्त करते हुए कहा कि आरोपित आदेश अपने आप में ही गलत है क्योंकि प्रथम दृष्टया इस मामले में अभियुक्त की संलिप्तता का कोई संकेत नहीं मिलता है और जिन सामग्रियों के आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ संज्ञान लिया गया था, उनमें अन्य भौतिक पहलुओं को नजरअंदाज करते हुए सीआरपीसी की धारा 239 के तहत याचिकाकर्ता की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी गई। यह प्रस्तुत किया गया है कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध कुछ प्रतिद्वंद्वी संस्करण, जो निर्विवाद दस्तावेज हैं और उत्कृष्ट गुणवत्ता के हैं, को विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। यह प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त के मद्देनजर, आरोपित आदेश कानून की नजर में खराब है और इसे रद्द/रद्द किया जाना चाहिए।

23. याचिकाकर्ता के ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीवास्तव ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उन विधिक निरण्णयों पर भरोसा किया जो **विष्णु कुमार शुक्ला और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य [2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1582]; उत्तर प्रदेश राज्य केंद्रीय जांच ब्यूरो के माध्यम से बनाम डॉ. संजय सिंह और अन्य [1994 पूरक।(2) एस. सी. सी. 707]; कंचन कुमार बनाम बिहार राज्य [(2022) 9 एस. सी. सी. 577]; राम प्रकाश चड्ढा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1709] और मैसर्स कर्नाटक एमटा कोल माइन्स लिमिटेड और ए. एन. आर. बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो [2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 2250] के रूप में प्रकाशित है।**

24. श्री अंसुल, सूचनाकर्ता/विपरीत पक्ष संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने याचिका का विरोध करते हुए प्रस्तुत किया कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने सही ढंग से माना है कि कुछ प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ होने के कारण विचारणीय मुद्दे हैं। यह बताया गया है कि इस स्तर पर सूक्ष्मतापूर्वक जाँच नहीं की जा सकती है और इसलिए, विद्वान मजिस्ट्रेट ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी रिपोर्ट पर सही ढंग से भरोसा किया है, जो **तमिलनाडु राज्य बनाम आर. सौंदिररासु और अन्य** के माध्यम से उपलब्ध है, जिसे **2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 1150** में

रिपोर्ट किया गया है। हालाँकि, श्री अंसुल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता लंबे समय से चल रहे राजनीतिक विवादों और याचिकाकर्ता के रूप में सूचनाकर्ता के प्रयासों को विवादित नहीं कर सके, जिसे जाँच अधिकारी द्वारा झूठा पाया गया और साथ ही श्री श्रीवास्तव, याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए हत्या जैसे जघन्य अपराधों में सूचनाकर्ता/ओपी संख्या 2 की संलिप्तता भी ।

25. **विष्णु कुमार शुक्ला के मामले (सुप्रा)** के पैरा 22 को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा, जो इस प्रकार है:

> "22. हाल ही में **गुजरात राज्य बनाम दिलीपसिंह किशोरसिंह राव, 2023 आईएनएससी 89444** के फैसले में, इस न्यायालय ने माना:
>
> > 7. यह सामान्य कानून है कि न्यायिक दिमाग का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए आवश्यक है कि अभियोजन पक्ष द्वारा मुकदमा चलाने के लिए कोई मामला बनाया गया है या नहीं और जब आरोप मुक्त करने के लिए आवेदन दायर किया जाता है तो आरोपी के बचाव की जांच करके मामले के पक्ष और विपक्ष में जाना आवश्यक नहीं होगा। उस स्तर पर, ट्रायल जज को केवल अभियोजन पक्ष द्वारा रखे गए सबूतों की जांच करनी होती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि आरोप पत्र सामग्री के आधार पर आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए आधार पर्याप्त हैं या नहीं। जांच एजेंसी द्वारा दर्ज या एकत्र किए गए सबूतों की प्रकृति या प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ जिनसे प्रथम दृष्टया पता चलता है कि संदिग्ध हैं। आरोप तय करने के लिए अभियुक्त के विरुद्ध ऐसी परिस्थितियाँ पर्याप्त होंगी और आरोप तय करने के लिए ऐसी सामग्री को ध्यान में रखा जाएगा। यदि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है, तो अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया जाएगा, लेकिन यदि न्यायालय की राय है कि सामग्री पर विचार करने के पश्चात यह मानने के आधार हैं कि अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया है जो विचारणीय है, तो आरोप तय करना आवश्यक है।
> >
> > 8. आरोप तय करने और संज्ञान लेने के समय अभियुक्त को कोई सामग्री प्रस्तुत करने और न्यायालय से उसकी जाँच करने के लिए कहने का कोई अधिकार नहीं है। संहिता में कोई भी प्रावधान अभियुक्त को आरोप तय करने के चरण में कोई सामग्री या दस्तावेज दाखिल करने का अधिकार नहीं देता है। परीक्षण न्यायालय को मामले के तथ्यों पर अपने न्यायिक दिमाग का प्रयोग करना होगा, जो यह निर्धारित करने के लिए आवश्यक हो सकता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा केवल आरोप-पत्र सामग्री के आधार पर परीक्षण के लिए मामला बनाया गया है या नहीं।
> >
> > 9. यदि अभियुक्त आरोप तय करने के चरण में आरोपपत्र सामग्री से यह प्रदर्शित करने में सक्षम है कि मामले की स्थिरता पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ सकता है, तो यह सुझाव देना अनुचित है कि ऐसी सामग्री पर उस चरण में न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जाना चाहिए या उसे अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। अभियुक्त को सीआरपीसी की धारा 227 के तहत प्रस्तुतियाँ देने का अवसर देने का मुख्य उद्देश्य

न्यायालय को यह निर्धारित करने में सहायता करना है कि क्या उसे मुकदमा चलाने के लिए आगे बढ़ना आवश्यक है। संहिता में ऐसी सुनवाई के दायरे को मौखिक सुनवाई और मौखिक तर्कों तक सीमित नहीं किया गया है और इसलिए, ट्रायल कोर्ट अभियुक्त द्वारा 1.0 के समक्ष प्रस्तुत सामग्री पर विचार कर सकता है।

10. यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि आरोपमुक्ति के लिए आवेदन पर विचार करने के चरण में न्यायालय को यह मानकर आगे बढ़ना चाहिए कि अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर लाई गई सामग्री सत्य है तथा उक्त सामग्री का मूल्यांकन यह निर्धारित करने के लिए करना चाहिए कि क्या सामग्री से उभरने वाले तथ्य, कथित अपराध के लिए आवश्यक तत्वों के अस्तित्व को प्रकट करते हैं।

X X X

11. अभियुक्त के बचाव पर उस चरण में विचार नहीं किया जाना चाहिए जब अभियुक्त आरोप मुक्त होना चाहता है। धारा 227 Cr. P.C. में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "मामले का अभिलेख" को अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों और लेखों के रूप में समझा जाना चाहिए। संहिता अभियुक्त को आरोप तय करने के चरण में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं देती है। अभियुक्त का प्रस्तुतीकरण जांच एजेंसी द्वारा प्रस्तुत सामग्री तक ही सीमित होना चाहिए।

12. आरोप तय करने के चरण में प्राथमिक विचार प्रथम दृष्टया मामले के अस्तित्व का परीक्षण है, और इस चरण में, रिकॉर्ड पर सामग्री के सत्यापन मूल्य पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इस न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य बनाम सोम नाथ थापा, (1996) 4 एससीसी 659 और मध्य प्रदेश राज्य बनाम मोहन लाल सोनी, (2000) 6 एससीसी 338 में अपने पहले के निर्णयों का हवाला देते हुए माना है कि आरोप तय करने के चरण में न्यायालय द्वारा किए जाने वाले मूल्यांकन की प्रकृति प्रथम दृष्टया मामले के अस्तित्व का परीक्षण करना है। यह भी माना जाता है कि आरोप तय करने के चरण में, न्यायालय को कथित अपराध का गठन करने वाले तथ्यात्मक तत्वों के अस्तित्व के बारे में एक अनुमानात्मक राय बनानी होती है और यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह रिकॉर्ड पर सामग्री के सत्यापन मूल्य में गहराई से जाए और यह जाँच करे कि क्या रिकॉर्ड पर सामग्री निश्चित रूप से मुकदमे के समापन पर दोषसिद्धि की ओर ले जाएगी। (जोर दिया गया)"

26. **डॉ. संजय सिंह के मामले (सुप्रा)** के **पैरा 18 से 22** को पुनः प्रस्तुत करना भी समीचीन होगा, जो कि तत्काल संदर्भ के लिए इस प्रकार है:

"**18.** अधिकतम, अभियोजन पक्ष केवल परिस्थितियों से ही यह सुझा सकता है कि किसी विशेष कार्य के लिए क्या उद्देश्य है या हो सकता है। हालांकि, हत्या या किसी अन्य अपराध के लिए अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए उद्देश्य अनिवार्य नहीं है। साथ ही, यदि अपराध किसी समझदार व्यक्ति द्वारा किया गया साबित हो जाता है, तो पता लगाने योग्य उद्देश्य की अनुपस्थिति कुछ भी नहीं है, लेकिन केवल उद्देश्य के सबूत के आधार पर मामला बनाना, वह भी किसी संभावित अपराध की ओर इशारा

करने वाले उद्देश्य का संदेह, न केवल बहुत असंतोषजनक है, बल्कि एक खतरनाक प्रक्रिया भी है, क्योंकि परिस्थितियाँ हमेशा विशेष और निश्चित निष्कर्षों की ओर नहीं ले जाती हैं और निष्कर्ष स्वयं कभी-कभी गलत हो सकते हैं।

19. जब हम रिकॉर्ड पर रखी गई पूरी सामग्री की जांच करते हैं, भले ही वह अखंडित या पूरी तरह से स्वीकार की गई हो, हमारा मानना है कि इनसे दोषसिद्धि का मामला नहीं बनता और केवल मकसद का संदेह आरोप तय करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हो सकता, क्योंकि प्रथम दृष्टया कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं है जिससे पता चले कि विशेष मकसद ने कार्रवाई की है और आरोपी का उस कार्रवाई से कोई संबंध है।

20. इस न्यायालय ने **सेंचुरी स्पिनिंग एंड मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, महाराष्ट्र राज्य [(19720 3 एससीसी 282 : 1972 एससीसी (क्रि) 495 : एआईआर 1972 एससी 545]** में पुरानी संहिता की धारा 251(ए) उपधारा (2) और (3) के दायरे की जांच करते हुए, जो नई संहिता की धारा 239 और 240 के अनुरूप है, निम्नलिखित अवलोकन किया है: (एससीसी पृष्ठ 291, पैरा 17: एआईआर पृष्ठ 553, पैरा 16)

"..... यदि इस सामग्री के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यह मानने का कोई आधार नहीं है कि अभियुक्त ने कोई अपराध किया है, तो वह उचित रूप से आरोप को निराधार मान सकता है और अभियुक्त को दोषमुक्त कर सकता है। यह तर्क कि न्यायालय को आरोप तय करने के चरण में यह विचार करने के लिए अपने न्यायिक दिमाग का उपयोग नहीं करना चाहिए कि कोई आरोप है या नहीं। अभियुक्त द्वारा अपराध किए जाने की धारणा का आधार धारा की स्पष्ट भाषा या इसकी न्यायिक व्याख्या या कानून के किसी अन्य मान्यता प्राप्त सिद्धांत पर समर्थित नहीं है। आरोप तय करने का आदेश व्यक्ति की स्वतंत्रता को काफी हद तक प्रभावित करता है और इस दृष्टिकोण को स्वीकार करना संभव नहीं है कि न्यायालय को केवल इसलिए आरोप तय कर देना चाहिए क्योंकि अभियोजन अधिकारी धारा 173 में संदर्भित दस्तावेजों पर भरोसा करते हुए मामले को संस्थित करना उचित समझते हैं। आरोप तय करने की जिम्मेदारी न्यायालय की है और उसे ऐसा करने के प्रश्न पर न्यायिक रूप से विचार करना होगा। रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर पूरी तरह ध्यान दिए बिना उसे अभियोजन पक्ष के निर्णय को आँख मूंदकर अपनाना चाहिए।"

21. वाई.वी. चंद्रचूड़, जे. (जैसा कि उस समय विद्वान मुख्य न्यायाधीश थे) ने **कर्नाटक राज्य बनाम एल. मुनिस्वामी [(1977) 2 एससीसी 699: 1977 एससीसी (क्रि) 404: एआईआर 1977 एससी 1489]** में तीन न्यायाधीशों की पीठ के लिए बोलते हुए, जिसमें राज्य ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 227 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए ट्रायल कोर्ट द्वारा किए गए डिस्चार्ज के आदेश को चुनौती दी थी, ने इस प्रकार फैसला सुनाया है: (एआईआर पृष्ठ 1492, पैरा 7)

"यह खंड अध्याय XVIII में निहित है जिसे 'सत्र न्यायालय के समक्ष परीक्षण' कहा जाता है। इस प्रावधान से यह स्पष्ट है कि सत्र न्यायालय के पास किसी अभियुक्त को बरी करने का अधिकार है, यदि वह अभिलेखों का अवलोकन करने और पक्षों की सुनवाई करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही

करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। सत्र न्यायाधीश को अपने कारणों को दर्ज करने के लिए कहने वाले प्रावधान का उद्देश्य उच्च न्यायालय को उन कारणों की सत्यता की जांच करने में सक्षम बनाना है, जिनके आधार पर सत्र न्यायाधीश ने यह माना है कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं।

22. तत्पश्चात **सेंचुरी स्पिनिंग एंड मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लि. बनाम महाराष्ट्र राज्य** के निर्णय का संदर्भ देते हुए विद्वान न्यायाधीश ने टिप्पणी की है: अपने दिनांक 17.4.1979 के आदेश द्वारा पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया। विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से यह अपील उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध है। 2. उत्तर प्रदेश बिक्री कर नियम, 1948 के नियम 6 और 54 (नियम 0, जहां तक वे प्रासंगिक हैं, नीचे पुन: उद्धृत किए गए हैं: "यह निर्धारित करने के उद्देश्य से कि क्या किसी अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है, न्यायालय के पास तुलनात्मक रूप से व्यापक विवेकाधिकार है, जिसके प्रयोग में वह यह प्रश्न निर्धारित कर सकता है कि क्या अभिलेख पर सामग्री, यदि अप्रतिबंधित है, ऐसी है जिसके आधार पर दोषसिद्धि को उचित रूप से संभव कहा जा सकता है।"

27. यकंचन कुमार के मामले (सुप्रा) के पैरा 15 को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा, जो इस प्रकार है:

"15. **दीपकभाई जगदीशचंद्र पटेल बनाम गुजरात राज्य** में धारा 227 सीआरपीसी के तहत निर्वहन के सिद्धांतों को संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए, इस न्यायालय ने दोहराया: (एससीसी पृष्ठ 561, पैरा 23) "23. इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार आरोप तय करने के चरण में, न्यायालय से यह अपेक्षा की जाती है कि वह केवल डाकघर के रूप में कार्य न करे। न्यायालय को वास्तव में अपने समक्ष प्रस्तुत सामग्री की जांच करनी चाहिए। जांच की जाने वाली सामग्री वह सामग्री होगी जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया है और जिस पर भरोसा किया गया है। इस अर्थ में छानबीन बहुत सावधानी से नहीं की जानी चाहिए कि न्यायालय एक पूर्ण परीक्षण के पश्चात संपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के पश्चात तर्कों की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश की भूमिका में आ जाता है और प्रश्न यह नहीं है कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए मामला बनाया है या नहीं। केवल इतना ही आवश्यक है कि न्यायालय को संतुष्ट होना चाहिए कि उपलब्ध सामग्री के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिए मामला बनता है। एक मजबूत संदेह ही पर्याप्त है। हालांकि, एक मजबूत संदेह किसी सामग्री पर आधारित होना चाहिए। सामग्री ऐसी होनी चाहिए जिसे परीक्षण के शुद्ध व्यक्तिपरक संतुष्टि नहीं हो सकता कि यहां एक ऐसा मामला है जहां यह संभव है कि अभियुक्त ने अपराध किया है। मजबूत संदेह वह संदेह होना चाहिए जो किसी ऐसी सामग्री पर आधारित हो जो न्यायालय को प्रथम दृष्टया यह विचार करने के लिए पर्याप्त हो कि अभियुक्त ने अपराध किया है।" *(जोर दिया गया)*

28. **देबेंद्र नाथ पाधी के मामले (सुप्रा)** के पैरा 27, 28 और 29 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अवलोकन किए हैं:

27. जहां तक धारा 91 का संबंध है, यह सही माना गया कि उस धारा की शक्तियों की चौड़ाई असीमित थी, लेकिन इसके प्रयोग के चरण या समय के बिंदु के रूप में अंतर्निहित, अंतर्निहित सीमाएं थीं, जो कार्यवाही की प्रकृति के साथ-साथ कार्य को पूरा करने या उद्देश्य प्राप्त करने की आवश्यकता और वांछनीयता की मजबूरियों के अनुरूप थीं। ट्रायल कोर्ट के सामने यह पता लगाने का चरण था कि क्या अभियुक्त के खिलाफ अगले चरण में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार था। अभियुक्त द्वारा धारा 91 के तहत समन और दस्तावेज पेश करने के लिए दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया और उच्च न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा आदेश को बरकरार रखा गया। लेकिन पैरा 6 में यह टिप्पणी की गई कि यदि अभियुक्त उस स्तर पर भी कोई विश्वसनीय सामग्री प्रस्तुत कर सकता है, जो मामले की स्थिरता को भी पूरी तरह प्रभावित कर सकती है, तो प्रस्तुत सामग्री पर गौर करने से इंकार करने से अन्याय हो सकता है, साथ ही बहुमूल्य न्यायिक/सार्वजनिक समय की कीमत पर निरर्थकता से बचा जा सकता है, ये टिप्पणियां स्पष्ट रूप से आज्ञाकारी हैं और किसी भी मामले में हमारे द्वारा पहले निकाले गए निष्कर्ष के मद्देनजर कोई महत्व नहीं रखती हैं। इसके अलावा, टिप्पणियों का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि अभियुक्त को अध्याय 18 में धारा 227 और 228 तथा अध्याय 19 में धारा 239 और 240 के स्पष्ट आदेश को ध्यान में रखते हुए आरोप तय करने के चरण में कोई भी दस्तावेज पेश करने का अधिकार है।

28. हमारा विचार है कि जब अभियुक्त द्वारा संहिता की धारा 91 के तहत अधिकारिता का आह्वान किया जाता है, तो न्यायालय को संहिता के तहत जांच, पूछताछ, परीक्षण या अन्य कार्यवाही के उद्देश्य के संदर्भ में आवश्यकता और वांछनीयता को देखना होगा। यह भी ध्यान में रखना होगा कि कानून किसी भी तरह की जांच या मछली पकड़ने की अनुमति नहीं देता है।

29. अभियुक्त को उच्च गुणवत्ता की निर्विवाद प्रकृति की सामग्री प्रस्तुत करने की स्थिति में होने के बावजूद मुकदमे का सामना करने के तर्क के संबंध में, संहिता की धारा 482 और संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की शक्तियों की चौड़ाई असीमित है, जिसके तहत न्याय के हित में उच्च न्यायालय ऐसे आदेश दे सकता है जो किसी भी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या भजन लाल मामले में निर्धारित मापदंडों के भीतर न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं [1992 सप (1) एससीसी 335: 1992 एससीसी (क्रि) 426]

29. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून की बेहतर समझ के लिए, भजल लाल के मामले (सुप्रा) के पैरा 102 को पुनः प्रस्तुत करना भी आवश्यक होगा, जो इस प्रकार है:

'102. अध्याय XIV के तहत संहिता के विभिन्न प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या और अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण शक्ति या संहिता की धारा 482 के तहत निहित शक्तियों के प्रयोग से संबंधित निर्णयों की श्रृंखला में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून के सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में, जिन्हें हमने ऊपर उद्धृत और पुनः प्रस्तुत किया है,

हम उदाहरण के तौर पर मामलों की निम्नलिखित श्रेणियां देते हैं, जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किसी भी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है, हालांकि कोई सटीक, स्पष्ट रूप से परिभाषित और पर्याप्त रूप से चैनलाइज्ड और अनम्य दिशानिर्देश या कठोर सूत्र निर्धारित करना संभव नहीं हो सकता है और असंख्य प्रकार के मामलों की एक विस्तृत सूची देना संभव नहीं है, जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(1) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया जाए और उनकी संपूर्णता में स्वीकार किया जाए, प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनाते हैं या अभियुक्त के खिलाफ कोई मामला नहीं बनाते हैं।

(2) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट और एफआईआर के साथ दी गई अन्य सामग्री, यदि कोई हो, में लगाए गए आरोप किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते हैं, तो संहिता की धारा 156(1) के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच को उचित ठहराया जा सकता है, सिवाय संहिता की धारा 155(2) के दायरे में मजिस्ट्रेट के आदेश के तहत।

(3) जहां एफआईआर या शिकायत में लगाए गए निर्विवाद आरोप और उनके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी अपराध के किए जाने का खुलासा नहीं करते हैं और अभियुक्त के खिलाफ कोई मामला नहीं बनाते हैं।

(4) जहां एफआईआर में लगाए गए आरोप संज्ञेय अपराध नहीं हैं, बल्कि केवल असंज्ञेय अपराध हैं, वहां पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना जांच की अनुमति नहीं है, जैसा कि संहिता की धारा 155(2) के तहत परिकल्पित है।

(5) जहां एफआईआर या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं, जिनके आधार पर कोई भी विवेकशील व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है।

(6) जहां संबंधित संहिता या अधिनियम के किसी भी प्रावधान में स्पष्ट कानूनी रोक लगाई गई है (पटना उच्च न्यायालय सीआर. एमआईएस. संख्या 5086/2023 दिनांक 07-04-2025 22/27 के तहत) जिसके तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई है) कार्यवाही शुरू करने और जारी रखने और/या जहां संबंधित संहिता या अधिनियम में कोई विशिष्ट प्रावधान है, जो पीड़ित पक्ष की शिकायत के लिए प्रभावी निवारण प्रदान करता है।

(7) जहां आपराधिक कार्यवाही में स्पष्ट रूप से दुर्भावना शामिल है और/या जहां कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण तरीके से अभियुक्त पर बदला लेने के

गुप्त उद्देश्य से और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे परेशान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

30. उपरोक्त विधिक स्थिति के प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा पर विचार करते हुए अब वर्तमान मामले के तथ्यों पर आते हैं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जिस पर विचार किया जाना आवश्यक है, वह यह है कि क्या वर्तमान एफ.आई.आर. व्यक्तिगत राजनीतिक रंजिश को निपटाने के लिए परोक्ष या गुप्त उद्देश्य से दर्ज की गई थी। संबंधित एफ.आई.आर. से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि सूचक/विपक्षी संख्या 2 अपने क्लीनिक से बरहाई टोला किसी व्यक्तिगत कार्य से गई थी और उस समय वह अकेली थी। एफ.आई.आर. अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ की हैसियत से भी दर्ज की गई थी। एफ.आई.आर. टाउन थाना कांड संख्या 01/2018 में गिरफ्तार लाल साहब नामक व्यक्ति के इकबालिया बयान से भी संदेह का संकेत मिलता है। अज्ञात व्यक्ति, जिन्होंने सूचक/ओपी संख्या 2 को धमकाया और फिरौती मांगी, को गिरफ्तार नहीं किया गया। पकड़े गए किसी व्यक्ति का बयान नहीं है। बेशक, याचिकाकर्ता मौके पर मौजूद नहीं था। उसने मुखबिर को निर्वस्त्र करने या उसे रोकने के लिए कोई आपराधिक बल का प्रयोग नहीं किया। एफ.आई.आर. का विवरण केवल और केवल राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से उत्पन्न संदेह को दर्शाता है। एफ.आई.आर. के साथ संलग्न व्हाट्सएप चैट किसी अन्य व्यक्ति के साथ की गई प्रतीत होती है, जिसमें ओ.पी. नंबर 2 का नाम भी नहीं दिखाई देता है। ये सभी तथ्य एक मकसद और संदेह का गठन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा "गंभीर संदेह" नहीं कहा जा सकता है जिसके आधार पर इस याचिकाकर्ता पर उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों पर आपराधिक मुकदमा चलाया जा सके, जैसा कि ऊपर उठाया गया है।

31. मुखबिर/ओपी नंबर 2 स्वयं एक ऐसी महिला प्रतीत होती है जिसका आपराधिक इतिहास रहा है और जो जघन्य अपराधों में शामिल रही है, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है। अज्ञात अभियुक्तों और याचिकाकर्ता के बीच वर्तमान घटना को अंजाम देने के लिए प्रथम दृष्टया कोई समझौता नहीं है, जिससे प्रथम दृष्टया आईपीसी की धारा 120बी के तहत आरोप लगाया जा सके, क्योंकि अज्ञात व्यक्तियों की गिरफ्तारी के अभाव में इकबालिया बयान भी उपलब्ध नहीं है।

32. याचिकाकर्ता एक इंजीनियर है और उसी राजनीतिक दल का पूर्व उपाध्यक्ष भी है जिससे मुखबिर/ओपी नंबर 2 संबद्ध प्रतीत होता है। डिस्चार्ज याचिका पर बहस करते समय यह दलील विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष उठाई गई थी, लेकिन इस पर विचार नहीं किया गया।

33. इस तथ्य के मद्देनजर कि तुरकौलिया पी.एस. कांड संख्या 1060/2022 सूचक/ओ.पी. संख्या 2 की नौकरानी द्वारा दायर किया गया था और साथ ही, सूचक ने मोतिहारी पी.एस. कांड संख्या 01/2018 में याचिकाकर्ता को फंसाने के लिए एक याचिका दायर की और 31.07.2023 को दर्ज एफआईआर के छह महीने बाद एक आवेदन भी दिया, यानी छतौनी पी.एस. कांड संख्या 42/2023 22.01.2023 को इस याचिकाकर्ता को फंसाने के लिए स्थापित किया गया, ऐसे निर्विवाद दस्तावेज हैं, जो कि स्टर्लिंग प्रकृति के हैं, जिन्हें यह कहने के लिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि सूचक/ओ.पी. संख्या 2 राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में था और, इसलिए, गुप्त और अप्रत्यक्ष मकसद से वर्तमान मामला दर्ज करने से इनकार नहीं किया जा सकता है।

34. आरोपित निर्णय के पैराग्राफ **'10'** को पुनः प्रस्तुत करना और भी अधिक उपयुक्त होगा, जो इस प्रकार है:

> *"10. आरोपों और अभिलेखों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया इस वर्तमान मामले में अभियुक्त की संलिप्तता का संकेत मिलता है। जांच के बाद अभिलेख पर लाई गई सामग्रियों पर प्रथम दृष्टया विचार करने से अभियुक्त का संबंध उन अपराधों से जुड़ता है, जिनके लिए उक्त मामले में उसके विरुद्ध संज्ञान लिया गया था। इस स्तर पर, सामग्रियों का विस्तृत मूल्यांकन और बचाव पक्ष पर सावधानीपूर्वक विचार करना अस्वीकार्य है। इस वर्तमान मामले में विचारणीय मुद्दे शामिल हैं, इसलिए, यदि विचारणीय मुद्दे हैं तो न्यायालय से प्रतिद्वंद्वी संस्करणों की सत्यता पर विचार करने की अपेक्षा नहीं की जाती है, इसलिए अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध प्रस्तुत मामले को निराधार नहीं कहा जा सकता है।"*

35. कानून की स्थिति को समझने के लिए सीआरपीसी की धारा **239** को पुनः प्रस्तुत करना समीचीन होगा, जिसे तत्काल संदर्भ के लिए नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:

> "239. अभियुक्त को कब उन्मोचित किया जाएगा। - यदि धारा 173 के अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट और उसके साथ भेजे गए दस्तावेजों पर विचार करने और अभियुक्त की ऐसी जांच, यदि कोई हो, करने के बाद, जैसा मजिस्ट्रेट आवश्यक समझे और अभियोजन पक्ष और अभियुक्त को सुनवाई का अवसर देने के बाद, मजिस्ट्रेट अभियुक्त के खिलाफ

आरोप को निराधार मानता है, तो वह अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा और ऐसा करने के उसके कारणों को दर्ज करेगा।"

36. कानून के उपरोक्त प्रावधान से ऐसा प्रतीत होता है कि मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले कि अभियुक्त के खिलाफ आरोप "निराधार" है, उसे मुक्त करने या आरोप तय करने के लिए आधार होने पर मुकदमा चलाने के लिए आगे बढ़ना होगा, निम्नलिखित कानूनी अनुपालन का पालन करना होगा:

1. सीआरपीसी की धारा 173 के तहत पुलिस रिपोर्ट और उसके साथ भेजे गए दस्तावेज;

2. मजिस्ट्रेट द्वारा आवश्यक समझे जाने पर अभियुक्त की कुछ जांच, यदि कोई हो, करना;

3. अभियुक्त को सुनवाई का अवसर देना; और

4. कारणों को दर्ज करना।

उपरोक्त सुरक्षित आधार पटना उच्च न्यायालय के सीआर. एमआईएससी. संख्या 5086/2023 दिनांक 07-04-2025 26/27 के उद्देश्य से तैयार किए गए हैं ताकि निर्दोष व्यक्तियों को आपराधिक मुकदमे का सामना करने के आघात से बचाया जा सके। कानून के इस प्रावधान को यांत्रिक तरीके से नहीं निपटाया जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रावधान के तहत पारित कोई भी आदेश आपराधिक मुकदमे का द्वार खोलता है। इसलिए, सीआरपीसी की धारा 239 के सभी उपरोक्त चार अंगों को सख्त जांच और अत्यंत सावधानी से निपटाया जाना चाहिए ताकि इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके कि आरोपी के खिलाफ आरोप "निराधार नहीं है" या "निराधार" है, जैसा भी मामला हो।

37. विवादित आदेश के अवलोकन से यह पता चलता है कि आदेश बहुत ही यांत्रिक तरीके से पारित किया गया था, केवल इस कारण से कि विद्वान क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रथम दृष्टया सामग्री को देखते हुए संज्ञान लिया था। आदेश इस बात पर चुप है कि इस याचिकाकर्ता के खिलाफ क्या सामग्री उपलब्ध है, जिसका खंडन नहीं किया जा

सकता है, जिससे दोषसिद्धि हो सकती है और इसलिए, "गंभीर संदेह" की अवधारणा को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है।

38. ततदनुसार, वर्तमान याचिका स्वीकृत की जाती है।

39. तुरकौलिया बंजारिया पी.एस. केस संख्या 193/2021 से उत्पन्न ट्रायल संख्या 1031/2022 में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट - प्रथम श्रेणी, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण द्वारा पारित दिनांक 16.12.2022 को पारित विवादित आदेश, याचिकाकर्ता के संबंध में इसकी सभी परिणामी कार्यवाही/आदेशों सहित, अपास्त/रद्द किया जाता है।

40. इस फैसले की एक प्रति तुरंत विद्वत निचली अदालत को भेजी जाए।

(चंद्र शेखर झा, न्यायमूर्ति)

राजीव/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।